

Exam/

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल


कमांक / 18 / 2 / ब / पार्ट-3 / गंजबासोदा / 526

भोपाल, दिनांक 28/11/2020

—:आदेश:—

म0प्र0कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 की कंडिका 3(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा मण्डी प्रांगण स्थान/ अधोसरंचना के आवंटन हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी / जिला क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक की शाखा स्थापित करने को " कृषि उपजों के विपणन में सहायक या कृषको की सुविधा के लिये वांछनीय प्रयोजन" का विनिश्चय किया जाता है।

म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 की कंडिका-3 के "परन्तुक" के प्रावधान अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति / उपमण्डी के प्रांगण में "जिला केन्द्रीय सहकारी / जिला क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक" की शाखा स्थापित किये जाने के लिए भूखण्ड/सरंचना जिला कलेक्टर के द्वारा निर्धारित कीमत/मूल्य पर दिये जाने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।


(संदीप यादव)


प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक / 18 / 2 / ब / पार्ट-3 / गंजबासोदा / 527
प्रलिपि-

भोपाल, दिनांक 28/11/2020

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल
2. संयुक्त संचालक / उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय
..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला..... (समस्त) की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल